उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-52/2020/824 ई-2/तेरह-2020-19/2020
लखनऊ::दिनांक 19 जून, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप/विज्ञप्ति</u>

उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति के गठन विषयक विज्ञप्ति संख्या-16/2017/429 ई-2/तेरह-2017-19/2010, दिनांक 12 मई, 2017 को अवक्रमित करते हुए, उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति 1965 (यथासंशोधित) के नियम-3, 5 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियत्रण अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं.-24 सन् 1964) की धारा-3 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, शीरे के संग्रहण, सम्भरण (आपूर्ति) तथा श्रेणीकरण से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिए इस कार्यालय ज्ञाप के प्रकाशित होने के दिनांक से, एक परामर्श समिति संगठित करते हैं। उक्त समिति में निम्नांकित व्यक्ति होंगे:-

1	शीरा नियत्रक, उत्तर प्रदेश	(पदेन अध्यक्ष)
2	मुख्यालय पर नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जिनके द्वारा शीरा सम्बन्धी कार्य देखा जा रहा हो।	(पदेन सचिव)
3	उघोग निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप निदेशक, उघोग के पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
4	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप गन्ना आयुक्त के पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
5	उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ का एक प्रतिनिधि।	महासचिव, यू.पी. शुगर मिल्स एसोसियेशन, 403 चिंटल हाउस, 16 स्टेशन रोड, लखनऊ।
6	उत्तर प्रदेश आसवक संघ का एक प्रतिनिधि।	निदेशक (आपरेसन्स), मेसर्स रेडिको खेतान लि, रामपुर।
7	उत्तर प्रदेश अल्कोहल बेस्ड इण्ड, डेवलेपमेंट एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।	जनरल सेकरेटरी, यू.पी आबिद (uttar pradesh alcohal based industries devlopment association) फलैट नं.-डब्लू डब्लू-01 रोहताश गोल्फलिंक अपार्टमेन्ट, 98, पार्क रोड, लखनऊ-226001

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	उत्तर प्रदेश गढई ढलाई उघोग यीस्ट, तम्बाकू तथा पशु आहार निर्माताओं का एक प्रतिनिधि।	डायरेक्टर्स मेसर्स कपिला कृषि उघोग लि. पता: 108/363, प्रथम तल, जी.टी.रोड राम कृष्णनगर, कानपुर-208012
9	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लि. अथवा उसका प्रतिनिधि जो सलाहकार पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि् अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप प्रबन्ध निदेशक पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य

संजय आर भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या-52/2020/824 (1) ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांकित

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, चीनी उघोग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) शीरा नियत्रक/आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) उघोग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि., उत्तर प्रदेश।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., उत्तर प्रदेश।
(8) उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ/उत्तर प्रदेश आसवक संघ/ उत्तर प्रदेश अल्कोहल बेस्ड इण्ड ज लेपमेंट एसोसियेशन/ उत्तर प्रदेश गढाई (मोल्डिंग), ढलाई (फाउण्ड्री) उघोग यीस्ट, तम्बाकू तथा पशु आहार संघ के प्रतिनिधिगण।
(9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को राज्य सरकार के आगामी साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क)(सामान्य परिनियम नियम) में शीघ्र प्रकाशन कराकर 100 प्रतियां उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित।
(10) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in